न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 27/2018

अनवान :

1. सतवीर पुत्र श्री संतराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– **सायल**

बनाम

1. गोपीराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– **असल गैरसायल**

2. बुगीदेवी पत्नी स्व0 संतराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल।
3. अंगूरी पुत्री स्व0 संतराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल।
4. छबीलाराम
5. भूपसिंह
6. बुधराम

} पिसरान लेखराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

7. जोतराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी जोडकिया तहसील भादरा हनुमानगढ राज0

– **तरतीबी गैरसायलान**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0अधि1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : **सायल**
वकील श्री बलवंत सिंह : **गैरसायलान**

निर्णय **दिनांक :** 2.11.18

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 5 जेएसएल के खाता सं0 59/55 मु0नं0 65 के किला नं0 18 की 0.253 है0 किला नं0 19/2 की 0.190, 21/2 की 0.076 है0, 22–23 की 0.506 है0 मु0नं0 80 के किला नं0 10–11 की 0.506 है0 मु0नं0 81 के किला नं0 4 ता 7 की 1.012 है0 किला नं0 14 ता 17 की 1.265 है0 मु0नं0 82 के किला नं0 1/2 की 0.228 है0 किला नं0 2 ता 4 की 0.759 है0 मु0नं0 83 के किला नं0 5/2 की 0.0380 है0 कुल 4.580 है0 जिसमें बारानी 4.5150 है0 एवं 0.0650 है0 गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि सायल एवं गैरसायलान नं0 1 से 7 की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है। सायल एवं गैरसायलान संयुक्त खाता काफी बड़ा हो गया है वाद भूमि अच्छी व हल्की दोनों किस्म की होने से पक्षकारान के बीच काश्त, सींव आदि को लेकर विवाद होते रहते है। वाद भूमि दावा फरीकेन संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। गैरसायलान सायल के कब्जा काश्त की भूमि में भी दखल दे रहे है। गैरसायल सं0 1 ने उक्त कृषि भूमि में नहर के पास ट्युबैल लगा रखा है तथा वह नहर से पानी चोरी करता है व टयूवैल का पानी भी अन्य काश्तकारों को बेचता है जिससे सायल की भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है तथा गैरसायल सं0 1 उक्त टयुबैल पर बिना खात

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विभाजन करवाये बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है तथा अन्य लोगों को कृषि भूमि बेचान करने की धमकी दे रहा है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

अत : सायल गैरसायल सं0 1 को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का मजाज कानूनी है कि गैरसायल सं0 1 वाद भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये वाद भूमि के किसी भू–भाग को रहन, बैय मुन्तकिल नहीं करे एवं वह टयूबैल का पानी अन्य काश्तकारों को नहीं बेचे एवं टयूबैल पर बिना खाता विभाजन करवाये बिजली का कनैक्शन नहीं लेवे।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त असल गैरसायल सं0 1 ने जबाब दरख्वास्त पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि गैरसायल नं0 1 गोपीराम ने गैरसायल नं0 4 छबीलाराम से जमीन की कीमत से काफी ज्यादा पैसे देकर सिर्फ ट्यूबवैल लगाने हेतु उक्त भूमि खरीद की थी, अब गैर सायल छबीलाराम ने गोपीराम से और पैसों की मांग कर डाली और अन्य गैर सायलान को अपने साथ कर उनसे यह मुकदमा करवा दिया। गैर सायल गोपीराम का खुद का रकबा भी पूरी तरह से सिंचित नहीं हो पा रहा है ऐसी दशा में किसी अन्य को पानी बेचने का सवाल कहा खड़ा होता है।

सायल का प्रथम दृष्टया मुकदमा साबित नहीं है सुविधा का संतुलन गैर सायल नं0 1 के पक्ष में है तथ अपूर्णिय क्षति भी गैर सायल नं0 1 को ही होती है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि पक्षकारान वाद भूमि के सहखातेदार है। हिस्सा विशेष पर डिग्गी निर्माण व कुआ निर्माण नहीं कर सकते है। गैरसायल का मात्र पानी विकय का उद्‌देश्य है। गैरसयलान को खाता विभाजन होने तक रोका जाए।

वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में कथन किया कि 2 बिस्वा भूमि कय का उद्‌देश्य कुआ निर्माण था। 11 साल से कुआ चल रहा है। पहले कुआ डिजल ईंजन से चलता था अब बिजली कनेक्शन लेना है। अप्रार्थी पानी विकय नहीं करेगा इस बाबत शपथ पत्र देने को तैयार है। इंजन से प्रदूषण होता है व मंहगा पड़ता है जबकि बिजली कनैक्शन किसान हित में है। अप्रार्थी 96500/– रूपये डिमाण्ड नोटिस जमा करवा चुका है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु दरख्वास्त पेश की है। प्रार्थी ने अपनी दरख्वास्त में वाद भूमि को संयुक्त खाता की कृषि भूमि होने व गैरसायल सं0 1 द्वारा नहर के पास भूमि में कुआ निर्माण कर पानी का विक्रय करने व जिससे प्रार्थी के भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होने के कथन अंकित किये हैं वहीं अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जबाब व बहस में जाहिर है कि 2 बिस्वा भूमि कय का उद्‌देश्य कुआ निर्माण था 11 वर्ष से अप्रार्थी का चल रहा है जिससे वह अपना अन्य रकबा ही सिंचित कर पाता है पहले कुआ डिजल ईंजन से चलता था अब बिजली कनेक्शन लेना है। इंजन से प्रदूषण होता है व मंहगा पड़ता है जबकि बिजली कनैक्शन किसान हित में है। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

96500/– रूपये डिमाण्ड नोटिस जमा करवा चुका है जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने विद्युत विभाग में जमा राशि का दस्तावेज, चित्रप्रति प्रमाण पत्र कृषि भूमि चक 5 जेएसएल, चित्रप्रति सहमति पत्र पेश किये है। किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि सुविधा हेतु सिंचाई सुविधा प्राप्त करना या खेत में सुधार करना कृषि कार्य का अंग है। काश्तकार को काश्तकारी सुविधा से रोका जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। अप्रार्थी के कृषि कुंआ की सिंचाई से प्रार्थी को सीधे तौर पर कोई नुकसान या क्षति नही है जो वर्तताान में कारित होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थी द्वारा 96500/– रूपये डिमाण्ड नोटिस भरा जा चुका है तो उसे विद्युत कनेक्शन से रोके जाने पर उसे क्षति होने की संभावना है न ही अप्रार्थी के कृषि विद्युत कनेक्शन से प्रार्थी को कोई असुविधा होने की सम्भावना परिलक्षित हो रही है। अतः दोनो बिन्दु सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है।

अत : अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में पाये जाने के कारण एवं दरख्वास्त प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़